न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 39 / 2021 **दायर दिनांकः— 03.09.2021**

उनवान

1. शकुन्तला उम्र 70 वर्ष पत्नी चतुर्भुज जाति बैरागी निवासी कनोटिया हाल बपावर कलां तह0 सांगोद जिला कोटा (राज0)।

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीया :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 27 / 09 / 2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल कनोटिया में खाता संख्या 168 की कुल किता 2 का रकबा 0.92 है0 भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सवंत 2072—2075 संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया को ग्राम कनोटिया में सुगन्ती बाई एवं शकुन्तला के नाम से जाना जाता था। प्रार्थिया का आधार कार्ड व अन्य रिकार्ड शकुन्तला के नाम से होने से प्रार्थिया को भूमि का विकास करवाने व अन्य कार्यो में कठिनाइयों का सामना करवाने की अधिकारणी है। प्रार्थीया ने दिनांक 26.08.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकार्ड में हो रही त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी एवं बैंक खाते में तथा पंजीकृत दस्तावेज में प्रार्थिया का नाम शकुन्तला दर्ज है। प्रार्थीया इस अनुसार प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को दुरूस्त करवाया जाना उचित नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:40 IST
Reason: SelfAttested

स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया का नाम शकुन्तला बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया।

अभिभाषक प्रार्थिया की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ग्राम कनोटिया तहसील अटरू में खाता संख्या 168 की कुल किता 2 का रकबा 0.92 है0 में प्रार्थिया को सुगन्तीबाई व शकुन्तलाबाई दोनों नामों से जाना जाता था इसलिए एक नाम सुगन्तीबाई दर्ज कर दिया है परन्तु प्रार्थिया के अन्य दस्तावेजों में नाम शकुन्तला हो से अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा है इसलिए प्रार्थिया का नाम दुरूस्त कर शकुन्तला किया जावे। प्रार्थीया दस्तावेजात के आधार पर रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने की अधिकारी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबंदी 2072–2075 ग्राम कनोटिया तहसील अटरू में खाता संख्या 168 की कुल किता 2 का रकबा 0.92 है0 भूमि सुगन्तीबाई पत्नी चतुर्भूज के दर्ज खाता है। प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में प्रार्थिया का नाम शकुन्तला पत्नि चतुर्भूज दर्ज है तथा बैंक पास बुक दी कोटा सैन्ट्रल को–ऑप. बैंक लि0 शाखा बपावर में प्रार्थिया का नाम शकुन्तला बाई दर्ज है।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिया का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:40 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कनोटिया तहसील अटरू में खाता संख्या 168 की कुल किता

2 का रकबा 0.92 है0 में खातेदार सुगन्तीबाई पत्नि चतुर्भूज के स्थान पर सुगन्तीबाई उर्फ शकुन्तला पत्नि चतुर्भूज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:40 IST
Reason: SelfAttested